राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 20.18/ 1408 दिनांक 15/6/18

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 15 / 2016 अन्तर्गत धारा 131,136 भू.रा.अ. अनवान हबीब खान बनाम प्रभू वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति अनुसार तरमीम दुरस्ती कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 15/2016

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थी – **1. हबीब खां पुत्र मूसा खां जाति –मुसलमान निवासी, मीठे का तला , तहसील सेड़वा।**

बनाम

विप्रार्थीगण – **1. अली मुराद पुत्र हयात जाति– मुसलमान निवासी –हरजीयाणियों की ढाणी, बींजासर**

2.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री नरेश भादू**

विप्रार्थीगण वकील – ....

निर्णय

दिनांक :– 12.06.18

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के क्बजा काश्त व गैर खातेदारी की भूमि मौजा हरजीयाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बींजासर, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 433 रकबा 170.08 बीघा, गैर मुमकिन धोरा में रकबा 5 बीघा का आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी का काश्त कब्जा लगातार चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थी के रहवास हेतु ढाणी, चारबाड़ा आदि बना हुआ है जिससे प्रार्थी का खसरा नं. 433 से हित पूर्णरूप से जुड़ा हुआ है। विवादग्रस्त भूमि में मूल खसरा नं 433 रकबा 170.08 बीघा किस्म गैर मुमकिन धोरा में से विप्रार्थी सं 1 को 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी है जिसका नामान्तरण सं 2014 दिनांक 22.6.2015 को स्वीकृत किया गया है तथा मौके पर विप्रार्थी सं 1 को 5 बीघा भूमि पर खसरा नं 1141/433 के सेढा–सेढ काबिज कर कब्जा सुपुर्द किया गया जिससे विप्रार्थी सं 1 का 05.00 बीघा भूमि आवंटन सुदा है। विप्रार्थी सं. 1 को आवंटित 5 बीघा भूमि का मौके पर कब्जा परिशिष्ट 'अ' में बताये बरंग लाल के अनुसार है इसी अनुसार मौके की स्थिति अनुसार तरमीम की जानी थी परन्तु मौके के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम न कर राजस्व कर्मचारियों ने विप्रार्थी सं. 1 के साथ मिली भगत करते हुए गलत तरमीम कर दी है विप्रार्थी सं 1 के मौके की स्थिति व तरमीम में भारी भिन्नता है। विप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सं 1 को मौके पर खसरा नं. 1141/433 के सेढा–सेढ काबिज किया गया था परन्तु विप्रार्थी सं. 1 ने आवंटित भूमि का वास्तविक स्थल पर तरमीम न करवाकर उससे दूर तरमीम करवा ली है तथा अब विप्रार्थी सं 1 अपने आवंटित भूमि को गलत स्थान पर तरमीम करवा कर मध्य में स्थित सरकारी भमि को हड़प करना चाहता है अतः प्रार्थी तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश कर विप्रार्थी सं 1 को आवंटित भूमि खसरा नं 1180/433 रकबा 5 बीघा भूमि की लट्ठा ट्रेस में की गयी अशुद्ध व गलत तरमीम को दुरूस्त कर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस सही तरमीम संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये बरंग लाल के अनुसार दुरूस्त कर पुनः दुरस्ती किये जाने की इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया है। प्रार्थी वकील द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया । जिसे स्वीकार कर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प में बींजासर में पेश हुई। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण उपस्थित हुए । तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को उभयपक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि खसरा सं. 433 गैर मुमकिन धोरा एवं खसरा नं. 1180/433 रकबा 5 बीघा की तरमीम की जांच की गई। मौके पर प्रार्थीगण एवं सेढा पड़ोसियान की उपस्थिति में जांच की गयी। ग्राम हरचंदानियों की ढाणी का खसरा नं. 433 गैर मुमकिन धोरा बिला कब्जा में से विप्रार्थी अली मुराद पुत्र हयात को 5 बीघा भूमि का नियमन हुआ था जिसका राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी अमल दरामद हो चुका है जिसका नामांनतरकरण भरते समय संलग्न नक्शे के अनुसार वर्तमान जो तरमीम की गयी है जांच करने पर सभी सेढा पड़ोसियों ने बताया कि इस स्थान पर अली मुराद का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अली मुराद का खसरा नं 433 में कब्जा काश्त था वह पूर्व में भूंगर पुत्र करीम को खसरा नं. 433 में से नियमन हुई थी। जिसका नया खसरा नं. 1141/433 नया खसरा सृजित कर जिसकी तरमीम संलग्न नक्शे में है उसकी पूर्व की भुजा के पास अली मुराद का कब्जा काश्त था। वर्तमान में मौके पर विप्रार्थी अली मुराद की काश्त में नहीं है भूमि पडत पड़ी है न ही मौके पर 5 बीघा की मेड़बन्दी हुई है। प्रार्थीगण एवं सेढा पड़ोसियों के बताये अनुसार व जांच अनुसार विप्रार्थी अली मुराद पुत्र हयाद की तरमीम भुंगर पुत्र करीम की भूमि के पास पूर्व दिशा में है जो संलग्न नक्शा में बरंग हरा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है ।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अतः सलंग्न ट्रेस नक्शे में बरंग हरा के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ. वास्ते तरमीम को दुरस्त करवाने बाबत् स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका व सलंग्न ट्रैस नकल नक्शा मौजा हरजीयाणियों की ढाणी (बींजासर) निर्णय के अनिवार्य भाग रहेंगे। तहसीलदार सेड़वा को उसी अनुसार तरमीम शुद्धि हेतु आदेश दिया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प बींजासर में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन